

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आप.प्रक.क्रमांक :- 845/2014)
(संस्थित दिनांक :- 22/09/2014)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. बिजेन्द्र सिंह बघेल पुत्र राधेश्याम सिंह बघेल, उम्र 28 वर्ष।
 निवासी :- जगा का पुरा, थाना :- दिमनी, जिला-मुरैना, (म.प्र.)।
 हाल निवासी :- महेश कॉलौनी ठाठीपुर, जिला-ग्वालियर, (म.प्र.)।
 अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 06/02/2018 को घोषित)

01. अभियुक्त बिजेन्द्र सिंह पर भा.द.सं. की धारा 304 ए एवं धारा 183 मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 26/08/2014 को दोपहर लगभग 03:20 बजे जोगी नगर भिण्ड-मालनपुर लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.30/पी/1100 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक प्रदीप की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं उक्त वाहन को अत्यधिक तेज गति से चलाया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 26/08/2014 को दोपहर लगभग 03:20 बजे जोगी नगर भिण्ड-मालनपुर लोकमार्ग पर, वाहन बस क्रमांक एम.पी.30/पी/1100 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक प्रदीप को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी मुन्ना सिंह द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में वाहन बस क्रमांक एम.पी.30/पी/1100 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 175/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 304 ए भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी बिजेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा पेश करने पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.30/पी/1100 मय दस्तावेज जब्त कर जब्ती

पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी चन्द्र प्रकाश का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी मुन्ना सिंह, साक्षी हरेन्द्र सिंह एवं कुल्पी उर्फ महिपत के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त बिजेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. एवं धारा 183 मोटर यान अधिनियम के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:—

01. क्या आरोपी बिजेन्द्र सिंह ने दिनांक :— 26/08/2014 को दोपहर लगभग 03:20 बजे जोगी नगर भिण्ड-मालनपुर लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.30/पी/1100 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक प्रदीप की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को अत्यधिक तेज गति से चलाया?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी मुन्ना सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक :— 26/08/2014 की दोपहर 03:20 बजे की है। घटना दिनांक को वह चौराहा पर आया था और हनुमान चौराहा पर बैठा था। उसी समय उसके दामाद कुल्पी का फोन आया और बताया कि प्रदीप बस के

टायर के नीचे आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। साक्षी आगे कहता है कि उसने पूछा कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, तब कुल्पी ने उसे बताया कि एक्सीडेंट जोगी नगर में हुआ है। जब वह जोगीनगर पहुँचा तो उसने देखा उसका भतीजा प्रदीप पड़ा हुआ है और उसका अर्थात् प्रदीप का खून बह रहा है। साक्षी आगे कहता है कि तब कुल्पी ने उसे बताया कि वह और प्रदीप बस से उतर रहे थे, तब प्रदीप बस से उतरते समय बस के टायर के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साक्षी आगे कहता है कि जिस बस के नीचे उसका भतीजा प्रदीप आया था, उस बस का नम्बर एम.पी.30/पी/1100 था। साक्षी आगे कहता है कि बस के चालक ने बस को धीमा किया, तब प्रदीप उतरने लगा, तब प्रदीप का एक पैर बस के दरवाजे पर था और एक पैर जमीन पर था, तभी बस चालक ने बस को लापरवाहीपूर्वक आगे बढ़ा दिया, इसलिए प्रदीप नीचे गिर गया और बस के टायर के नीचे आ गया। घटना के बाद वह रिपोर्ट करने थाना मालनपुर गया, रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मृत्यु जांच में उपस्थित होने की सूचना दी थी, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। लाश पंचायतनामे की कार्यवाही उसके सामने हुई थी, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे दुर्घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में मुन्ना सिंह अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब दुर्घटना हुई थी, तब वह घटनास्थल पर मौजूद था और घटना होने के पाँच-छः मिनट पश्चात् वह घटनास्थल पर पहुँच गया था। इस प्रकार साक्षी मुन्ना सिंह अ.सा.01 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर अनुश्रुत साक्षी मात्र है, जिसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

10. साक्षी कुल्पी सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 26/08/2014 की दोपहर 03:20 बजे की दिन मंगलवार की है। उस दिन वह मालनपुर से बैठकर जोगी नगर जा रहा था, उसके साथ में हरेन्द्र एवं प्रदीप भी थे, वह लोग बस क्रमांक एम.पी. 30/पी/1100 से जा रहे थे। साक्षी आगे कहता है कि जब उसने जोगी नगर पर बस रूकवाई, तब वह और हरेन्द्र बस से उतर गये, तब प्रदीप बस से उतरने लगा, तब तक बस के चालक ने बस को झटका देकर आगे बढ़ा दिया, जिससे प्रदीप नीचे गिर पड़ा और बस का पिछला पहिया उसके उपर से निकल गया। साक्षी आगे कहता है कि प्रदीप बस में फस गया और थोड़ी दूर तक घिसटा भी था, तब वह चिल्लाये, तब बस के चालक ने बस को रोका और भाग गया। उसने घटना की सारी बात मुन्नी सिंह गुर्जर को बताई थी, पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने घटना दिनांक को दुर्घटनाकारित करने वाले चालक को देख लिया था एवं वह दुर्घटनाकारित करने

वाले बस के चालक को पहचान सकता है। यद्यपि इस साक्षी के पुलिस कथन में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के पहचान संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है। तत्पश्चात् साक्षी कुल्पी अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि वह सामने आने पर भी दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक को नहीं पहचान सकता, क्योंकि वह मौके से भाग गया था और उसने दुर्घटना के पूर्व या पश्चात् दुर्घटनाकारित करने वाले चालक को नहीं देखा था। इस प्रकार घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी कुल्पी अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है, जो आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी बिजेन्द्र सिंह की पहचान को स्थापित करते हो।

11. घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हरेन्द्र गुर्जर अ.सा.04 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपी बिजेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक :- 26/08/2014 को दोपहर लगभग 03:20 बजे जोगी नगर भिण्ड-मालनपुर लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी. 30/पी/1100 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक प्रदीप की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं उक्त वाहन को अत्यधिक तेज गति से चलाये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

12. अभियोजन साक्षी राधेश्याम जाट अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 26/08/2014 को थाना मालनपुर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 175/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 304 ए भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को उसके द्वारा सफीना प्र.पी.03 बनाया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को उसके द्वारा शव पंचायत प्र.पी.04 बनाया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा फरियादी मुन्ना सिंह के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षी मुन्ना सिंह, महिपत उर्फ कुल्ली के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे एवं उसके द्वारा दिनांक : 28/08/2014 को हरेन्द्र सिंह का कथन लेखबद्ध किया गया था, जिनमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 28/08/2014 को ही आरोपी ब्रजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.07 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी से बस क्रमांक एम.पी.20/पी/1100 मय दस्तावेज जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही वाहन मालिक चन्द्रप्रकाश गौड़ का जब्तशुदा वाहन के संबंध में प्रमाणीकरण प्र.पी.09 लेखबद्ध किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् विवेचना

उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में साक्षी राधेश्याम जाट अ.सा.05 ने यह दर्शित किया है कि घटनास्थल पर उसे दुर्घटनाकारित करने वाली बस नहीं मिली थी। जबकि कथित चक्षुदर्शी साक्षी कुल्पी सिंह अ.सा.02 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में कहना है कि बस का चालक दुर्घटना के पश्चात् बस को रोककर भाग गया था। उल्लेखनीय है कि विवेचक राधेश्याम जाट अ.सा.05 द्वारा लेखबद्ध किये गये साक्षी मुन्ना सिंह अ.सा.01 एवं हरेन्द्र अ.सा.04 और कुल्पी अ.सा.02 के धारा 161 द.प्र.सं. के कथनों में भी बस स्टॉफ द्वारा मौके पर बस को छोड़कर भाग जाने का उल्लेख है। ऐसी दशा में यदि दुर्घटना के पश्चात् आरोपी चालक बस को छोड़कर भाग गया था, तो उक्त बस निश्चय ही दुर्घटनास्थल से जब्त की जानी चाहिए थी, ना कि आरोपी/चालक द्वारा प्रस्तुत करने पर दुर्घटना के दो दिन पश्चात् थाना से, इस प्रकार इस वावत् उपरोक्तानुसार अभियोजन साक्ष्य अत्यंत विरोधाभाषपूर्ण होने के कारण संदेहास्पद है। 26 अवसर दिये जाने के पश्चात् भी अभियोजन प्रमाणीकरण के साक्षी चन्द्र प्रकाश गौर को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य अंकित किये जाने हेतु उपस्थित करने में असफल रहा है। अभियोजन की ओर से चन्द्रप्रकाश का फरारी पंचनामा प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि “उक्त साक्षी के बारे में काफी पता करने पर भी कोई जानकारी प्राप्त ना हो सकी”। तदोपरान्त 26 अवसर दिये जाने के पश्चात् साक्षी चन्द्रप्रकाश गौर को अदम् पता घोषित किया गया। इस कारण प्रमाणीकरण का साक्षी चन्द्रप्रकाश का साक्ष्य अंकित नहीं किया जा सका।

14. डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.03 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल मृतक प्रदीप के शव परीक्षण के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 में दर्शित उनके अभिमत संबंधी उनके न्यायालयीन साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

15. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी बिजेन्द्र सिंह ने दिनांक :- 26/08/2014 को दोपहर लगभग 03:20 बजे जोगी नगर भिण्ड-मालनपुर लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी. 30/पी/1100 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक प्रदीप की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं उक्त वाहन को अत्यधिक तेज गति से चलाया।

अंतिम निष्कर्ष

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी बिजेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. एवं

धारा 183 मोटर यान अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी बिजेन्द्र सिंह को धारा 304 ए भा.द.सं. एवं धारा 183 मोटर यान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

18. प्रकरण में जब्तशुदा बस क्रमांक एम.पी.30/पी/1100 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद